

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-2/2018/

दिनांक:

--:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैण्ड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	भैरूलाल कुल्मी, नर्स प्रथम	कोटा	03.08.90	03.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	छगनलाल जाट, नर्स प्रथम	राजसमन्द	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	परशराम दवे, नर्स प्रथम	पाली	14.09.90	14.09.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	आईदानमल परमार, नर्स प्रथम	पाली	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	राधेश्याम उपाध्याय, नर्सिंग ट्यूटर	अजमेर	27.06.89	27.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	मंजुलता सैन, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	02.03.90	02.03.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	जगदीश चन्द्र धाकड़, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	24.11.88	24.11.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	दारुनाथ योगी, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	02.07.90	02.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	पारसमल पंवार, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	मोहम्मद असलम छीपा, नर्स प्रथम	पाली	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	हरीराम पडिहार, नर्स प्रथम	बीकानेर	10.07.90	10.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	महेश चौबीसा, नर्स प्रथम	झुंजरपुर	16.05.89	16.05.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	अशोक कुमार डामोर, नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	16.07.90	16.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	अनिता इन्दौरा, नर्स प्रथम	श्रीगंगानगर	03.02.99	03.02.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
15.	मोहनलाल जीनगर, नर्स प्रथम	अजमेर	18.07.90	18.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-2/2018/510

दिनांक: 08-10-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, कराबी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
4. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर